

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. 07662-241655
फैक्स नं. 07662-241655

ई-मेल - deanmcrewa@rediffmail.com
वेबसाइट- www.ssmcrewa.com

क्रमांक 29877 /स्था/राज/एमसी/2023

रीवा, दिनांक 7/11/23

// आदेश //

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा में सीनियर/जूनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 24123/स्था/राज/एमसी/विज्ञप्त/2023, रीवा, दिनांक 04.10.2023 के अनुक्रम में दिनांक 10.10.2023 को संपन्न साक्षात्कार में चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा में उनके नाम के समक्ष दर्शित विभागों में जूनियर रेसीडेंट के पद पर निश्चित मासिक शिष्यावृत्ति रु. 56,355/- (छप्पन हजार तीन सौ पचपन रूपए) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	अभ्यर्थी की श्रेणी	चयनित श्रेणी	विभाग
1.	डॉ. दिलीप उपाध्याय, पिता श्री अशोक उपाध्याय पता:- 194, मेन रोड, कामराज नगर, आवड़ी, चैन्नई, तमिलनाडू, 600071	अनारक्षित	अनारक्षित	नियोनेटोलॉजी
2.	डॉ. अनुराग प्रताप उधवानी, पिता श्री प्रताप उधवानी पता:- कमरा नं. 02, पी.जी. बॉयज हॉस्टल, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.), 486001	अनारक्षित	अनारक्षित	नियोनेटोलॉजी
3.	डॉ. लवकेश कुमार शुक्ला, पिता श्री अरुण कुमार शुक्ला पता:- 10/972, श्रीयुत नगर, रीवा (म.प्र.), 486001	अनारक्षित	अनारक्षित	न्यूरोलॉजी
4.	डॉ. ऐश्वर्या ददोरे, पिता श्री नामदेव ददोरे पता:- फ्लैट नं. 201, सम्यक रेसीडेंसी, सुविधा सुपर बाजार के पास, रविन्द्र नगर, रीवा (म.प्र.) 486001	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	कार्डियोलॉजी

नियुक्ति की शर्तें:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जो तीन वर्ष की टेन्चुवर अवधि के लिए प्रथमतः एक वर्ष के लिए होगी।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत कम से कम 03 माह तक सेवाएं दिया जाना आवश्यक होगा, 03 माह पूर्व सेवा से त्याग पत्र दिए जाने की स्थिति में 03 माह के बराबर की वेतन राशि जमा करना होगा।
4. उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश लेने के कारण त्याग पत्र देने की स्थिति में 03 माह के स्थान पर 01 माह के बराबर की वेतन राशि जमा करनी होगी। इस हेतु उच्च अध्ययन में प्रवेश से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. एक वर्ष पश्चात् विभागाध्यक्ष से संतोषजनक कार्य-व्यवहार की सूचना के आधार पर पुनः एक वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा।

6. तीन वर्ष की टेन्चुवर अवधि उपरांत सेवाएं स्वयमेव समाप्त हो जावेंगी।
7. कार्य एवं व्यवहार के संबंध में विभागाध्यक्ष से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी एवं पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा।
8. निजी व्यवसाय (Private Practice) करने की अनुमति नहीं होगी।
9. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. यह नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत संस्था द्वारा किसी भी समय एक माह की अग्रिम सूचना देयर या उसके एवज में एक माह का अग्रिम वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
11. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को एक कैलेण्डर वर्ष में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं सप्ताह में एक दिन के अवकाश की पात्रता होगी तथा यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश देय नहीं होंगे। निर्धारित अवकाश पात्रता के अतिरिक्त कर्त्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
12. पेंशन एवं तत्संबंधी कोई लाभ नहीं होगा।
13. नियुक्ति की अवधि में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधान लागू रहेंगे।
14. नियुक्ति की अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की पूर्वानुमति के बिना नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा अथवा किसी पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
15. पूर्व से शासकीय सेवा में होने की स्थिति में उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता का कार्यमुक्ति आदेश/सेवा से त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप सेवा के लिए अयोग्य पाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ.सी. 3-15/2012/1/3, भोपाल, दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अथवा पी.एम.टी., यू.जी. एवं पी.जी. किसी भी स्तर पर एस.टी.एफ./सी.बी.आई. आदि की जांच लंबित नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
18. संस्था की आवश्यकतानुसार अस्थायी रूप से कार्य करने हेतु अन्य विभागों में ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
19. कोविड-19 महामारी को देखते हुए आवश्यकतानुसार कोविड-19 वार्डों में विशेषज्ञता/योग्यतानुसार ड्यूटी लगाई जा सकेगी।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन किया गया है।

(Handwritten Signature)

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

(Handwritten Signature)
07-12-2023

पू.क्र. 29877-84 /स्था/राज/एमसी/2023
प्रतिलिपि:-

रीवा, दिनांक 7/11/23

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
3. संयुक्त संचालक सह-अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
4. अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा।
5. संबंधित विभागाध्यक्ष, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा।
6. स्थानीय कार्यालय, लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित जूनियर रेसीडेंट्स की शिष्यावृत्ति का भुगतान मांग संख्या 52-2210-05-105-8888 चिकित्सा शिक्षा, 4968 चिकित्सा महाविद्यालय-42 सहायक अनुदान- 002, अन्य में विकलनीय होगा।
7. संबंधितों की ओर वास्ते पालनार्थ।

Kandul

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

27/11/2023